D.El.Ed. IInd Sem

Subject :- S.St

Topic :- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2002

दिसम्बर 1986 मे भारत सरकार ने अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया आदि देशो मे प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमो एवं व्यवस्थाओ का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात् एक वृहत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया। इस अधिनियम मे सन् 1991, 1993 एवं 2002 मे संशोधन किए गए। यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारो का संरक्षण एवं संवर्द्धन, उपभोक्ता परिषदो की स्थापना के लिए व्यवस्था, उपभोक्ताओ के विवादो एवं उनसे सम्बन्धित मामलो के निपटारे के लिए व्यवस्था उपभोक्ता विवादो का सरलता एवं शीघ्रता से निपटारा करने आदि विभिन्न उद्देश्यो की पूर्ति के लिए लागू किया गया है।

उपभोक्ताओ की शिकायतो के समाधान अथवा उपभोक्ता विवादो के निपटारे हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मे त्रिस्तरीय अर्द्ध न्यायिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार, जिला मंचो, राज्य आयोगो एवं राष्ट्रीय आयोग (1988 मे नई दिल्ली मे स्थापित) की स्थापना की गई है। यह त्रिस्तरीय अर्द्ध न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओ के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यावहारिक साबित हो रही है, क्योंकि इनमे सामान्य न्यायालयो की भाँति वैधानिक औपचारिकताओ तथा सिविल प्रोसिजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड के प्रावधानो का पालन नही करना पड़ता है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओ को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है और उसे समय एवं धन की बचत होती है।

उपभोक्ता अधिकारो के बेहतर संरक्षण के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 15 मार्च 2003 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के दिन से प्रभावी किया गया। इसी क्रम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1991 मे भी संशोधन हुआ। और उसे 5 मार्च 2004 को अधिसूचित किया गया।

— Ramkyas

Scanned with CamScanner